



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072020-220591
CG-DL-E-20072020-220591

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2102]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18, 2020/आषाढ़ 27, 1942

No. 2102]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 2020/ASHADHA 27, 1942

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2020

का.आ. 2385 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (6) के अनुसरण में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), 16 मार्च, 2018 में अधिसूचना संख्यांक का०आ० 1194(अ) तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—

- “3 श्री माधव कौशिक
उपाध्यक्ष, साहित्य अकादमी,
मकान संख्या 3277, सेक्टर, 45डी
चण्डीगढ़-160047”।

[फा.सं. एम-22011/5/2017-प्रेस-भाग (1)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का०आ 1194 (अ), तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का०आ० 1788 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2018, का०आ० 3267 (अ), तारीख 13 सितम्बर, 2019 और का०आ० 4480 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2020

S.O. 2385 (E).—In pursuance of the provisions of sub-sections (3) and (5) of section 5 read with sub-section (6) of section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Information and Broadcasting number S.O. 1194(E), dated the 16th March, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th March, 2018 namely:-

2. In the said notification, for serial number 3, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“3 Shri Madhav Kaushik,
Vice-President, Sahitya Akademi,
House No.3277, Sector-45D,
Chandigarh-160 047.”

[F. No. M-22011/5/2017-Press Part(1)]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii). *vide* number S.O. 1194(E), dated the 16th March, 2018 and was subsequently amended *vide* number S.O.1788(E), dated the 27th April, 2018, S.O.3267(E), dated the 13th September, 2019 and S.O.4480(E), dated the 13th December, 2019.